कार्यालय विज्ञप्ति

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे विश्राम कक्ष में नीलामी/ ठेका समिति की बैठक मेरी अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक मे समिति के सदस्य श्रीमती पूर्णिमा पाठक अपर जिला जज एफ.टी.सी-01 कन्नौज एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी अपर सिविल जज जू0डि0-01 कन्नौज उपस्थित रहे। इससे पूर्व दिनांक-22.03.2026 को विभिन्न ठेके उठाये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। जिसके अनुपालन में साइकिल स्टैण्ड ठेका हेतु श्री अरविन्द कुमार का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिनके द्वारा मु-50000.00/- रूपये जमानत धनराशि जमा की गयी थी, परन्तु ठेका की निर्धारित शर्ते पूर्ण न करने पर उनकी जमानत धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया गया। स्टाम्प वैन्डर-01 स्टाम्प वैन्डर-02 व स्टाम्प वैन्डर-04 का ठेका प्रक्रिया पूर्ण कर उठाया गया। शेष ठेको हेतु उचित आवेदन प्राप्त न होने के कारण ठेके नही उठाये जा सके। माननीय जनपद न्ययाधीश महोदय के आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित शेष ठेके उठाये जाने हेतु विज्ञप्ति निर्गत किया जाना उचित प्रतीत होता है। नीलामी समिति की बैठक मे वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु न्यायालय परिसर में संचालित ठेके उठाये जाने हेतु पुनः विज्ञप्ति निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

01. ठेका खान–पान (कैन्टीन)।

02. ठेका फोटोग्राफी।

03. ठेका फोटोकापी।

04. ठेका साइकिल स्टैण्ड।

05. ठेका फल व जूस।

06. ठेका कृषि योग्य भूमि (10.67 बीघा(02.13 एकड़)।

07. ठेका स्टाम्प वेन्डर, दुकान संख्या-03

शर्तेः–

01. सभी बोलीदाताओं को निम्नलिखित धनराशि प्रतिभूति के रूप में बोली बोलने के पूर्व जमा करनी होगी। जिनकी बोली स्वीकार नहीं होगी उनकी जमानत धनराशि उसी दिन **नीलामी** प्रक्रिया के बाद वापस कर दी जायेगी।,

क्रम सं0	ठेके का नाम	जमानत धनराशि
01	ठेका खान–पान (कैन्टीन)।	मु0–50,000/–
02	ठेका फोटोग्राफी।	मु0–40,000/–
03	ठेका फोटोस्टेट।	मु0–40,000/–
04	ठेका साइकिल स्टैण्ड।	मु0–50,000/–
05	ठेका फल व जूस।	मु0–20,000/–
06	ठेका कृषि योग्य भूमि(10.67 बीघा(02.13 एकड़))।	मु0–20,000/–
07	ठेका स्टाम्प वेन्डर, दुकान संख्या-03	मु0–2,000/–

02. बिना जमानत धनराशि जमा कराये कोई भी बोलीदाता बोली बोलने का हकदार नहीं होगा।

03. उपरोक्त सभी ठेकों को चलाये जाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

04. ठेके की बोली न्यायालय परिसर में निर्धारित तिथि **27.05.2026** को सायं 04:30 बजे खुली बोली बोली जायेगी।

05. अन्तिम बोलीदाता वित्तीय वर्ष 2026–2027 ठेके का हकदार माना जायेगा। अन्तिम बोलीदाता को ठेके की धनराशि की दो जमानतें ठेका प्रारम्भ होने से पहले दाखिल करनी होगी।

06. ठेका प्रारम्भ होने की तिथि से पहले नीलामी की आधी धनराशि जमा करनी होगी। आधी धनराशि जमा करने के उपरान्त ही ठेका प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी तथा शेष आधी धनराशि सितम्बर 2026 तक जमा करनी होगी।

07. माननीय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज के अनुमोदन के उपरान्त ठेके की बोली अन्तिम मानी जायेगी।

08. माननीय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज को किसी समय किसी भी ठेके को बिना किसी कारण एवं बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त किये जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

09. किसी भी आवॉछनीय व्यक्ति को ठेके में बोली बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक बोलीदाता का ठेका बोलने से पूर्व अपने चरित्र के सम्बन्ध में दो संभ्रान्त व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण–पत्र तथा स्वयं एक नोटरी शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना है कि वह किसी फौजदारी मुकदमे में न तो वांछित है और न ही सजायाफ्ता है।

10. ठेका आवंटित होने के उपरान्त यदि ठेकेदार द्वारा ठेका सुचारू रूप से नही चलाया जाता हैं तो उस स्थिति मे उनके द्वारा जमा जामानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका संचालित दिनो की ब़सूली की कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

20/05/2026

(विजय लक्ष्मी देवी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर सिविल जज (जू.डि)
कोर्ट सं.-01 कन्नौज।

(पूर्णिमा पाठक)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एफ.टी.सी-01
कन्नौज

20/5/26

(रामगोपाल सिंह)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो
एक्ट
कन्नौज

<u>सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नानुसार प्रेषित की जायेगी:–</u>

01. सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञापन किसी स्थानीय समाचार पत्र में नि:शुल्क प्रकाशन कराकर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।
02. केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय कन्नौज के सूचना पट पर चस्पा करें।
03. नगर पालिका परिषद कन्नौज के सूचना पट पर चस्पा करें।
04. रोडवेज बस स्टैण्ड के सूचना पट पर चस्पा करें।
05. तहसील के सूचना पट पर चस्पा करें।
06. कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर चस्पा करें।
07. सिस्टम ऑफिसर को इस आशय से प्रेषित कि जनपद न्यायालय, कन्नौज की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
08. जिला पंचायत, कन्नौज के सूचना पट पर चस्पा करें।
09. रेलवे स्टेशन, कन्नौज के सूचना पट पर चस्पा करें।

20/05/2026

(विजय लक्ष्मी देवी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर सिविल जज (जू.डि)
कोर्ट सं.-01 कन्नौज।

(पूर्णिमा पाठक)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एफ.टी.सी-01
कन्नौज

20/5/26

(रामगोपाल सिंह)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो
एक्ट
कन्नौज